



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2014/चैत्र 17, 1936

No. 109]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2014/CHAITRA 17, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/बीआईडी/4/2013-प्रि-बिड.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में,—

(क) विनियम 7 में,—

(i) उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(ग) सफल बोलीदाता द्वारा बिछाए जाने वाले पीएनजी घरेलू कनेक्शनों और इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के आधारभूत ढांचे के लिए न्यूनतम कार्यक्रम।

पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढांचा— बोर्ड पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लिए आधारभूत ढांचे के लक्ष्य पर कार्य करेगा जोकि सफल बोलीदाता द्वारा अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से प्रथम पाँच वर्षों के दौरान संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के परिवारों का पाँच प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा, नामतः :—

(i) सफल बोलीदाता द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः पंद्रह प्रतिशत, पचास प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत और एक सौ प्रतिशत प्राप्त करेगा; और

(ii) बोर्ड पाँच वर्ष की अवधि में लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाने पर विचार कर सकता है।

इंच-किलोमीटर पाइपलाइन – बोर्ड इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के लक्ष्य पर कार्य करेगा, जिसके लिए स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई पाइपलाइन दोनों पर निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाएगा, नामतः :—

(i) 1,000 वर्ग किलोमीटर से कम या उसके बराबर भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.65 से गुणा किया जाएगा;

(ii) 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक और 5,000 वर्ग किलोमीटर से कम या समकक्ष भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.36 से गुणा किया जाएगा बशर्ते कि न्यूनतम पाइपलाइन 650 इंच-किलोमीटर हो;

(iii) 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों के लिए संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर को 0.07 से गुणा किया जाएगा बशर्ते कि न्यूनतम पाइपलाइन 1,800 इंच-किलोमीटर हो।

उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित किए गए इंच-किलोमीटर पाइपलाइन के लक्ष्य को सफल बोलीदाता द्वारा अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से प्रथम पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त किया जाएगा, नामतः :—

(i) सफल बोलीदाता प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः बीस प्रतिशत, पचास प्रतिशत, अस्सी प्रतिशत, नब्बे प्रतिशत और एक सौ प्रतिशत प्राप्त करेगा जिसमें सभी प्रभार क्षेत्र शामिल होंगे; और

(ii) बोर्ड पाँच वर्ष की अवधि में लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाने पर विचार कर सकता है।”

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञा.-3/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् इन्हें सा.का.नि. 800(अ.) दिनांक 19 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 295(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 7 जून, 2010, सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 19 जुलाई, 2010 और फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/रिब्यु-2011/ 2012-III दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2014

F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,—

(a) in regulation 7,—

(i) in sub-regulation (1),—

(A) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

“(c) Minimum Work Programme for infrastructure for PNG domestic connections and inch-kilometer of pipeline to be laid by the successful bidder

Infrastructure for PNG domestic connections.—The Board shall work out the target for infrastructure for PNG domestic connections as five per cent of the households of the respective geographical area to be achieved by the successful bidder during the first five years from the date of grant of authorisation in Schedule D as under, namely :—

- (i) the successful bidder shall achieve fifteen per cent, fifty per cent, seventy per cent. and one hundred per cent of this target by the end of second year, third year, fourth year and fifth year respectively; and
- (ii) the Board may consider carry forward of the target from one year to another within the period of five years.

Inch-kilometer of pipeline.—The Board shall work out the target for inch-kilometer of pipeline, for which both steel pipeline and MDPE pipeline shall be considered, as per the following, namely:-

- (i) for geographical areas having an area of less than or equal to 1,000 square kilometers, product of 0.65 and the area in square kilometers of the respective geographical area;
- (ii) for geographical areas having an area of more than 1,000 square kilometers and less than or equal to 5,000 square kilometres, product of 0.36 and the area in square kilometres of the respective geographical area subject to a minimum of 650 inch-kilometer of pipeline;
- (iii) for geographical areas having an area of more than 5,000 square kilometres, product of 0.07 and the area in square kilometres of the respective geographical area subject to a minimum of 1,800 inch-kilometer of pipeline.

The target for inch-kilometer of pipeline worked out as per the above shall be achieved by the successful bidder during the first five years from the date of grant of authorisation in Schedule D as under, namely :—

- (i) the successful bidder shall achieve twenty per cent., fifty per cent, eighty per cent, ninety per cent and one hundred per cent of this target by the end of first year, second year, third year, fourth year and fifth year respectively covering all the charge areas; and
- (ii) the Board may consider carry forward of the target from one year to another within the period of five years.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT.-3/4/Exty./188/14]

Foot Note : Principal regulations were notified vide No. G.S.R.196(E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800(E), dated 19th November, 2008, G.S.R. 295(E), dated 30th April 2009, G.S.R. 478(E), dated 7th June, 2010, G.S.R. 605(E), dated 19th July, 2010 and F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013.